ऑन लाईन नं. RCMS 2024/56

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 02/24
राज्य सरकार जरिये श्री संदीप गौंड, प्रवर्तन अधिकारी पदमपुर

प्रार्थी

बनाम

श्री विष्णु पुत्र श्री मालजी, निवासी स्टेट बैंक के पास, पदमपुर मैसर्स राज श्री मिष्ठान भण्डार, जैनसभा रोड़, पदमपुर।

अप्रार्थी

प्रकरण अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जब्तशुदा सामग्री 1 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर मय एलपयीजी गैंस 4.5 किलोग्राम गैंस को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अधिवक्ता अप्रार्थी श्री गोपाल कपूर

निर्णय दिनांक : 24.05.2024

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 25.04.2024 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को यह शिकायत प्राप्त होने पर की होटलों पर अवैध रूप से घरेलू गैंस सिलेण्डरों का उपयोग किया जा रहा है, पर मन विजेन्द्रपाल, प्रवर्तन अधिकारी, पदमपुर एवं श्री मुकेश कुमार कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के जांच हेतु मौके पर पहूँचे। मौके पर फर्म राज श्री मिष्ठान्न भण्डार, जैन सभा रोड़, पदमपुर में विष्णु पुत्र श्री मालजी निवासी स्टेट बैंक के पास, पदमपुर उपस्थित मिला। उसने स्वंय को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। श्री विष्णु पुत्र श्री मालजी की उपस्थिति में राज श्री मिष्ठान भण्डार , जैन सभा रोड़, पदमपुर की जांच की गई। मौके पर दुकान में मिठाई बनाकर बेचने, चाय, समोसा एवं नमकीन आदि बनाकर बेचने का कार्य किया जाता है। मौके पर दुकान में 1 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर चुल्हा/भट्टी से जुडा हुआ पाया गया तथा भट्टी पर समोसा बनाने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर घरेलू गैंस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में उपयोग करते पाये जाने पर मौके पर ही 01, घरेलू गैस सिलेण्डर को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया जाकर मौके पर रिद्दि सिद्दि भारत गैंस पदमपुर को सुपुर्द किया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया जाकर सलंग्न है। श्री विष्णु पुत्र श्री मालजी निवासी स्टेट बैंक के पास, पदमपुर द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैंस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग करना पाया गया। श्री विष्णु पुत्र श्री मालजी निवासी स्टेट बैंक के पा, पदमपुर का उक्त कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग),4(2), का स्पष्ट उल्लधन किया है। अत : आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 1 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर मय 4.5 किलोग्राम गैंस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी पर गलत तथ्यों के आधार पर झूठा मुकदमा दर्ज किया गया है। अप्रार्थी ने LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग),4(2), का स्पष्ट उल्लधन नहीं किया है। मैसर्स राज श्री मिष्ठान भण्डार, जैनसभा रोड़, पदमपुर पर मिठाई, चाय, समोसा व नमकीन बनाने का कार्य किया जाता है। मैसर्स राज श्री मिष्ठान भण्डार, जैनसभा रोड़, पदमपुर पर जो 01 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर पाया गया वह गांव से आने वाले परिचित व्यक्तिं का गैस सिलेण्डर था क्योंकि गांवों में गैस की सप्लाई नहीं होती है। अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का अवैध बेचान/रिफिलिंग का कार्य नहीं किया जाता है। अतः जब्त शुद्वा 1 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर को प्रार्थी को वापस दिलवाये जावें।

राजकीय पैरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि दिनांक 25.04.2024 श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को यह शिकायत प्राप्त होने पर की होटलों पर अवैध रूप से घरेलू गैंस सिलेण्डरों का उपयोग किया जा रहा है, पर मन विजेन्द्रपाल, प्रवर्तन अधिकारी, पदमपुर एवं श्री मुकेश कुमार कनिष्ठ सहायक कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर के जांच हेतु मौके पर पहूँचे। मौके पर फर्म राज श्री मिष्ठान्न भण्डार, जैन सभा रोड़, पदमपुर में विष्णु पुत्र श्री मालजी निवासी स्टेट बैंक के पास, पदमपुर उपस्थित मिला। उसने स्वंय को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। श्री विष्णु पुत्र श्री मालजी की उपस्थिति में राज श्री मिष्ठान भण्डार , जैन सभा रोड़, पदमपुर की जांच की गई। मौके पर दुकान में मिठाई बनाकर बेचने, चाय, समोसा एवं नमकीन आदि बनाकर बेचने का कार्य किया जाता है। मौके पर दुकान में 1 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर चुल्हा/भट्टी से जुडा हुआ पाया गया तथा भट्टी पर समोसा बनाने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर घरेलू गैंस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में उपयोग करते पाये जाने पर मौके पर ही 01, घरेलू गैस सिलेण्डर को जरिये फर्द जब्ती जब्त किया जाकर मौके पर रिद्दि सिद्दि भारत गैंस पदमपुर को सुपुर्द किया। फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया जाकर सलंग्न है। श्री विष्णु पुत्र श्री मालजी निवासी स्टेट बैंक के पास, पदमपुर द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैंस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग करना पाया गया। श्री विष्णु पुत्र श्री मालजी निवासी स्टेट बैंक के पा, पदमपुर का उक्त कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग),4(2), का स्पष्ट उल्लधन किया है। अत : मौके से जब्तशुदा 1 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर मय 4.5 किलोग्राम गैंस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि तहसील पदमपुर में अवैध रूप से घरेलू गैंस सिलेण्डरों का उपयोग किया जा रहा है कि शिकायत प्राप्त होने पर उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर व प्रवर्तन अधिकारी का दल दिनांक 25.04.2024 को फर्म राज श्री मिष्ठान्न भण्डार, जैन सभा रोड़, पदमपुर पर जांच हेतु पहुंचे। दिनांक 25.04.2024 को फर्म राज श्री मिष्ठान्न भण्डार, जैन सभा रोड़, पदमपुर की जांच में पाया कि फर्म राज श्री मिष्ठान्न भण्डार, जैन सभा रोड़, पदमपुर पर मिठाई, चाय, समोसा व नमकीन बनाने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर फर्म राज श्री मिष्ठान्न भण्डार, जैन सभा रोड़, पदमपुर में विष्णु पुत्र श्री मालजी निवासी स्टेट बैंक के पास, पदमपुर उपस्थित मिला। उसने स्वंय को उक्त दुकान का मालिक होना बताया। गई। मौके पर दुकान में मिठाई बनाकर बेचने, चाय,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)

समोसा एवं नमकीन आदि बनाकर बेचने का कार्य किया जाता है। मौके पर दुकान में 1 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर चुल्हा/भट्टी से जुडा हुआ पाया गया तथा भट्टी पर समोसा बनाने का कार्य किया जा रहा था। मौके पर घरेलू गैंस सिलेण्डर का व्यवसायिक कार्य में उपयोग करते पाये जाने पर मौके पर ही 01, घरेलू गैस सिलेण्डर को जरिये फर्द जब्ती

इस प्रकार अप्रार्थी श्री विष्णु पुत्र श्री मालजी निवासी स्टेट बैंक के पास, पदमपुर द्वारा अवैध तरीके से घरेलू गैंस सिलेण्डरों का व्यवसायिक कार्य में उपयोग करना पाया गया। श्री विष्णु पुत्र श्री मालजी निवासी स्टेट बैंक के पा, पदमपुर का उक्त कृत्य LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1)(ख)(ग),4(2), का स्पष्ट उल्लधन किया है। अत : मौके से जब्तशुदा 1 घरेलू एलपीजी गैंस सिलेण्डर मय 4.5 किलोग्राम गैंस को राजसात किया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
अति0 जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर (राजस्थान)